



District
Administration
Alwar

कोरोना वायरस से न घबराएं

#राजस्थान_सतर्क_है

अलवर जिले के साथ-साथ
पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है।
ऐसे में सोशल मीडिया या अन्य माध्यम
से अफवाह व भ्रामक प्रचार फैलाने
वाले के विरुद्ध एपिडेमिक एक्ट 1957
के अंतर्गत तुरंत कानूनी कार्यवाही
की जाएगी।

शिकायत करें



0144-2338200
9829934822

#AlwarPolice



#AlwarFightsCorona



Help us to
help you



0144-2346033
0144-2338000
0144-2340145

संक्रमण से बचाव के लिए अनावश्यक
घर से बाहर ना निकलें।

